भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1077
बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक)

देश में विमुद्रीकरण के पश्चात बेरोजगारी की स्थिति

1077. श्री मानस रंजन भूनियाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विमुद्रीकरण के पश्चात बेरोजगारी में चार वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी दर का वर्षवार ब्यौरा क्या है और ऐसा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या का समाधन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर की नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी की दर	
सर्वेक्षण	अखिल भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	6.0%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	3.7%
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	3.4%

(टिप्पणीः पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

इसके अलावा, युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 27.11.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण		एनएसएस (पीएलएफएस) के सर्वेक्षण
		2013-14	2015-16	2017-18
1.	आंध्र प्रदेश	2.9	3.5	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.7	3.9	5.8
3.	असम	2.9	4.0	7.9
4.	बिहार	5.6	4.4	7.0
5.	छत्तीसगढ़	2.1	1.2	3.3
6.	दिल्ली	4.4	3.1	9.4
7.	गोवा	9.6	9.0	13.9
8.	गुजरात	0.8	0.6	4.8
9.	हरियाणा	2.9	3.3	8.4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	10.2	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	8.2	6.6	5.4
12.	झारखंड	1.8	2.2	7.5
13.	कर्नाटक	1.7	1.4	4.8
14.	केरल	9.3	10.6	11.4
15.	मध्य प्रदेश	2.3	3.0	4.3
16.	महाराष्ट्र	2.2	1.5	4.8
17.	मणिपुर	3.4	3.4	11.5
18.	मेघालय	2.6	4.0	1.6
19.	मिजोरम	2.0	1.5	10.1
20.	नागालैंड	6.7	5.6	21.4
21.	ओडिशा	4.3	3.8	7.1
22.	पंजाब	5.4	5.8	7.7
23.	राजस्थान	3.1	2.5	5.0
24.	सिक्किम	7.1	8.9	3.5
25.	तमिलनाडु	3.3	3.8	7.5
26.	तेलंगाना	3.1	2.7	7.6
27.	त्रिपुरा	6.2	10.0	6.8
28.	उत्तराखंड	5.5	6.1	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	4.0	5.8	6.2
30.	पश्चिम बंगाल	4.2	3.6	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13.0	12.0	15.8
32.	चंडीगढ़	2.8	3.4	9.0
33.	दादर और नगर हवेली	4.6	2.7	0.4
34.	दमन और दीव	6.6	0.3	3.1
35.	लक्षद्वीप	10.5	4.3	21.3
36.	पुडुचेरी	8.8	4.8	10.3
	अखिल भारत	**3.4**	**3.7**	**6.0**

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।